भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2194

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोग उन्मूलन

†2194. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अनुसार क्षय रोग से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यविधि/पद्धति का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्य-वार तथा कर्नाटक में जिला-वार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने क्षय रोग नियंत्रण रणनीतियों के संबंध में कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है/करने की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया;
(ङ) क्या क्षय रोग नियंत्रण प्रयासों विशेष रूप से ग्रामीण जिलों और आकांक्षी जिलों में गति देने के लिए वित्त पोषण बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्षय रोग के निदान, उपचार तक पहुँच और जन जागरूकता में चुनौतियों से निपटने, विशेष रूप से कलंक समाप्त करने और दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के प्रसार को रोकने के लिए उपचार अनुपालन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): क्षय रोग (टीबी) का समाधान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को कार्यान्वित किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख कार्यनीतियां शामिल हैं:

- टीबी रोगियों के शीघ्र निदान को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण दवाओं के साथ शीघ्र उपचार सुनिश्चित करना
- टीबी परिचर्या में निजी क्षेत्र की भागीदारी
- उच्च जोखिम/कमजोर आबादी में टीबी निवारक उपचार और संपर्क अनुरेखण सहित रोकथाम रणनीतियों का कार्यान्वयन और
- वायुजनित संक्रमण नियंत्रण।

वर्ष 2024 के लिए कर्नाटक राज्य सहित टीबी मामलों की अधिसूचना और उपलब्धि संबंधी निर्धारित राज्यवार लक्ष्य **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के माध्यम से 2021 में 20 राज्यों/राज्यों के समूह में राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण कराया है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ज़िला स्तर पर टीबी के मामलों के रुझानों की निगरानी के लिए ज़िला स्तरीय वार्षिक सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। इस पद्धति के माध्यम से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ज़िला स्तर पर टीबी रोग के अनुमान निकाले जाते हैं और 2015 की आधार रेखा के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। इस प्रथा के तीन दौर 2020, 2021 और 2022 में आयोजित किए जा चुके हैं।

टीबी उन्मूलन के प्रयासों को तीव्र करने और आकांक्षी जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2025-26 में आरसीएच फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत 2318.80 करोड़ रुपये के नकद अनुदान के अलावा, 3259.26 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पिछले 3 वर्षों के लिए एनटीईपी के अंतर्गत आवंटित और उपयोग किया गया बजट **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनटीईपी के अंतर्गत, देश भर में टीबी के निदान, उपचार और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी भार वाले क्षेत्रों में लक्षित कार्यकलाप।
- टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाएँ और निदान सेवाएँ प्रदान करना।
- दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयों के माध्यम से असुरक्षित आबादी के बीच टीबी के मामलों की गहन खोज।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) द्वारा टीबी जाँच और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण।
- टीबी मामलों की सूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- टीबी के शीघ्र निदान की सुविधा के लिए सभी ब्लॉकों में आणविक नैदानिक प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- उपचार की पूरी अवधि के दौरान पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी 1,000 रुपये प्रति माह की निक्षय पोषण योजना।
- कलंक मिटाने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलापों को गहन बनाना।
- टीबी रोगियों और असुरक्षित आबादी के संपर्कों को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और उनके घरेलू संपर्कों को अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2194 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक.

अनुलग्नक – I

2024 के लिए टीबी अधिसूचना संबंधी राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीबी अधिसूचना के लिए लक्ष्य	टीबी अधिसूचना की उपलब्धि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	500	534
आंध्र प्रदेश	100000	83960
अरुणाचल प्रदेश	3500	2848
असम	55000	50456
बिहार	250000	204309
चंडीगढ़	7000	6960
छत्तीसगढ़	50000	39593
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1100	1037
दिल्ली	110000	105343
गोवा	2000	2079
गुजरात	145000	137955
हरियाणा	95000	86635
हिमाचल प्रदेश	15000	15607
जम्मू एवं कश्मीर	12000	12200
झारखंड	63000	63670
कर्नाटक	90000	78369
केरल	23000	20843
लद्दाख	260	293
लक्षद्वीप	10	8
मध्य प्रदेश	190000	181026
महाराष्ट्र	250000	230163
मणिपुर	3500	2497
मेघालय	5500	4564
मिजोरम	3000	2312
नागालैंड	5000	4059
ओडिशा	65000	60608
पुदुचेरी	4100	3700
पंजाब	70000	59020
राजस्थान	170000	171921
सिक्किम	1300	1313
तमिलनाडु	110000	93276
तेलंगाना	82000	76611
त्रिपुरा	3000	3320
उत्तर प्रदेश	650000	681779
उत्तराखंड	28000	29334
पश्चिम बंगाल	125000	99721
भारत	**2787770**	**2617923**

डेटा स्रोत: नि-क्षय

दिनांक 01.08.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2194 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुलग्नक - II

पिछले 3 वर्षों के दौरान एनटीईपी के अंतर्गत बजट आवंटन और उपयोग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उपयोग
1	2022-23	1666.33*	910.83
2	2023-24	1888.82*	1179.68
3	2024-25	3176.40*	3173.26

* वर्ष 2022-23 से आबंटन और उपयोग में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाने वाला नकद अनुदान शामिल नहीं है, जिसे एनएचएम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे एक सामान्य पूल अर्थात आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें टीबी भी शामिल है।

*****